बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

ज्ञाप संख्या–9/निधि–योजना (0102–वृहद् सड़कें) 02–01/2016– 163(S) पटना, दिनांक– 17/02/17

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, (संलग्न विवरणी के अनुसार)।

विषय : मुख्य शीर्ष– 5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष– 03–राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष–337–सड़क निर्माण कार्य, मॉग सं0– 41, उप शीर्ष– 0102 – वृहद् सड़कें, विषय शीर्ष –53 01–मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

आदेश : चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में संलग्न विवरणी के स्तम्भ सं0–2 में अंकित प्रमंडलों से प्राप्त मांग पत्र के आधार पर संलग्न विवरणी के स्तम्भ–4 में अंकित राशि के अनुसार कुल **₹ 125,75,00,000/– (एक अरब पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख रूपये)** मात्र निधि का आवंटन किया जाता है। इस आवंटन सहित संबंधित प्रमंडलों को संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2016–17 में कुल आवंटित राशि स्तम्भ सं0–5 के अनुसार हो जायेगी।

2. यह व्यय पथ निर्माण विभाग के आय–व्यय 2016–17 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।
3. यह व्यय मुख्य शीर्ष–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष– 03–राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष–337–सड़क निर्माण कार्य मॉग सं0– 41 उप शीर्ष–0102–वृहद् सड़के, विषय शीर्ष –53 01–मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड– P5054033370102 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।
4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 – 2561/वि॰(2) दिनांक – 17.04.1998, पत्रांक–423/वि॰, दिनांक–31.03.2016, पत्रांक– 4572, दिनांक– 03.06.2016, विभागीय पत्रांक–600(एस) दिनांक–25.01.2017 एवं पत्रांक–1041(एस॰), दिनांक–09.02.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
5. इस आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के अनुज्ञेय सीमा के ही अधीन वित्त विभाग के पत्रांक–एम0–4–53/2007–2190 दिनांक–17.03.08/ विभागीय पत्रांक–4322 (एस) दिनांक–26.03.08 में दिये गये निदेश के आलोक में ही नियमानुसार व्यय की जाय।
6. यह व्यय प्रशासनिक / प्रावैधिक स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।
7. आवंटित राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन भी किसी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगें। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी योजनावार अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
8. आवंटित राशि से निर्माण कार्य में व्यवहृत विभागीय सामग्रियों के व्यय को शामिल करते हुए नियमानुसार राशि का व्यय किया जाय।
9. चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटित राशि से बचत राशि का प्रत्यार्पण दिनांक – **15.03.2017** तक निश्चित रूप से कर दिया जाय।
10. प्रस्ताव पर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
11. आवंटित राशि की सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

(चन्द्रशेखर) 17-2-17
विशेष पदाधिकारी (या0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

17/02/17
(कृष्ण चन्द्र ठाकुर)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D:\2016-17 Worked by ALOK\ALLOTMENT - 2016-17\1- Plan - 5054 (2016-17)\1- Major Road (2016-17) - st-14